भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1602
11 फरवरी, 2020 को उत्तर देने के लिए

लद्दाख में फल प्रसंस्करण यूनिट

1602. श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र के कारगिल तथा लेह जिलों में खुबानी, सेब, अखरोट, सीबकथौर्न आदि जैसे फलों की काफी मात्रा में बर्बादी की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार की लद्दाख में माइक्रो खाद्य प्रसंस्करण यूनिट/उद्योग स्थापित करने की कोई योजना/प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या भविष्य में ऐसा करने की सरकार की कोई योजना है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) और (ख): केन्द्रीय फसलोत्तर इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सीफेट), लुधियाना द्वारा ''भारत में प्रमुख फसलों एवं जिन्सों की फसल एवं फसलोत्तर हानियों का मात्रात्मक आंकलन'' विषय पर वर्ष 2015 में किए गए अध्ययन के अनुसार प्रमुख फलों की वार्षिक फसल एवं फसलोत्तर हानियों की अनुमानित संचयी प्रतिशतता 6.70% से 15.88% है । पश्चिमी हिमालयन क्षेत्र (जिसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख प्रत्येक के 4 जिले शामिल हैं) में क्रमश: सेब तथा नीबू वर्गीय फलों की वार्षिक फसल एवं फसलोत्तर हानियों की अनुमानित संचयी प्रतिशतता 10.39% तथा 6.58% है ।

(ग) से (ड.): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय किन्हीं भी खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों/ परियोजनाओं/ यूनिटों की स्थापना स्वंय नहीं करता है । यह अपनी केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम- प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत अनुदान सहायता के रूप में व्यक्तियों, किसानों, कृषक उत्पाद संगठनों (एफपीओज), उद्यमियों, सहकारिताओं, समितियों, स्व-सहायता समूहों (एसएचजीज), निजी कंपनियों तथा केन्द्र/ राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि को क्रेडिट-लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी उपलब्ध कराता है । हालांकि , इस समय संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख समेत देश में कहीं भी माइक्रो खाद्य प्रसंस्करण यूनिट/उद्योग की स्थापना के लिए सहायता का प्रावधान नहीं है ।

*****